

पत्रांक-11/न0वि0/गठन-11/2025 938 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक:- 06/3/26

विषय:-

राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extension) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक 2095 दिनांक 22.07.2025 एवं पत्रांक 3392 दिनांक 09.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलो में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extension) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त आलोक में विभिन्न जिलों से अब तक कुल 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए है (सूची संलग्न)।

2. इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 514 (4) दिनांक 28.07.2025 द्वारा भारत की जनगणना-2027 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखण्डों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने का आदेश दिया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत की जनगणना-2027 से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने तक विभाग में अब तक प्राप्त कुल 29 प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है।

4. अतएव भारत की जनगणना-2027 के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त निदेश पर जनगणना का कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 31.03.2027 के पश्चात नवीनतम जनगणना (वर्ष 2027) के आधार पर पुनः प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पश्चात नगर निकायों के गठन/क्षेत्र विस्तार/उत्क्रमण की कार्रवाई संभव है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि जब तक

जनगणना-2027 पूर्ण नहीं हो जाता है तबतक नये नगर निकायों के गठन एवं पुराने नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्क्रमण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करायेंगे।


अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-11/न०वि०/गठन-11/2025 938 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक-06/3/26

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-11/न०वि०/गठन-11/2025 938 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक-06/3/26

प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, सभी नगर निगम /कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-11/न०वि०/गठन-11/2025 938 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक-06/3/26

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (नगर विकास एवं आवास विभाग) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

**जिला पदाधिकारी से नगर निकायों के गठन/क्षेत्र विस्तार/उत्क्रमण हेतु प्राप्त कुल 29 प्रस्तावों की सूची।**

क्र० सं०	जिला	क्र० सं०	प्रस्ताव
1	सारण	1	नगर परिषद, सोनपुर का क्षेत्र विस्तार के संबंध में।
		2	मकेर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		3	नगर निगम, छपरा का क्षेत्र विस्तार के संबंध में।
		4	नगर पंचायत, रिविलगंज को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
		5	बेला को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		6	बनियापुर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		7	इसुआपुर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		8	नगरा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		9	पानापुर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		10	गरखा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		11	तरैया को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		12	अमनौर को नगर परिषद घोषित करने के संबंध में।
		13	नगर पंचायत, मढ़ौरा को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
2	जहानाबाद	14	शकूराबाद को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
3	औरंगाबाद	15	ओबरा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		16	अम्बा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		17	गोह को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		18	हसपुरा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
4	नवादा	19	पकरीबरावों को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		20	कौआकोल को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
5	रोहतास	21	तिलौथू को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
6	मधुबनी	22	नगर पंचायत, जयनगर को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
7	सिवान	23	नगर पंचायत, मैरवा को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
8	वैशाली	24	हाजीपुर, नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर निगम में उत्क्रमण करने के संबंध में।
		25	लालगज, नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
		26	वैशाली को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
9	मुजफ्फरपुर	27	नगर निगम, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में।
10	समस्तीपुर	28	शाहपुर पटोली, नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में।
11	पूर्वी चम्पारण	29	घोड़ासहन को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।